[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2014 का विधेयक संख्यांक 7

[दि ट्रिबुनल्स, अपीलाट ट्रिबुनल्स एंड अदर अथारिटीज (कंडीसन्स आफ सर्विस) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014

कतिपय अधिकरणों, अपील अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों, जिस भी नाम से ज्ञात हो की सेवा की शर्तों की एकरूपता के लिए और उनसे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की

जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अपील अधिकरण" से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अपील अधिकरण अभिप्रेत हैं जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी विनिर्दिष्ट अधिनियमों के किसी उपबंध के अधीन स्थापित या गठित हैं ;

(ख) "प्राधिकरण" से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्राधिकरण अभिप्रेत है जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी विनिर्दिष्ट अधिनियमों के किसी उपबंध के अधीन स्थापित या गठित हैं ;

(ग) "बोर्ड" से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित बोर्ड अभिप्रेत है जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी विनिर्दिष्ट अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन स्थापित या गठित हैं ;

(घ) "अध्यक्ष" से विनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकारी का कोई अध्यक्ष, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(ङ) "आयोग" से उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित तत्स्थानी विनिर्दिष्ट अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन स्थापित या गठित पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित कोई आयोग अभिप्रेत है ;

(च) "सदस्य" से विनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध कोई भी अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "विनिर्दिष्ट अधिनियमों" से पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत हैं ;

(झ) "अधिकरण" से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकरण अभिप्रेत है जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी विनिर्दिष्ट अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन स्थापित या गठित हैं ।

अध्याय 2

सेवा की शर्तें

अधिनियम का लागू होना ।

3. विनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबंधों में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे :

परंतु इस अधिनियम के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण करने वाले, यथास्थिति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को लागू नहीं होंगे ।

पदावधि ।

4. अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, उस रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई अध्यक्ष या सदस्य,--

(क) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा

है, सत्तर वर्ष की आयु ;

(ख) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की दशा में, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है, सड़सठ वर्ष की आयु ;

(ग) किसी अन्य अध्यक्ष या सदस्य की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु,

प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों का सेवानिवृत्त समझा जाना ।

5. कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व सरकारी सेवा में था, उस तारीख से जिसको वह ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करता है, सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

पेंशन का निलंबन ।

6. यदि कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व सरकार के अधीन किसी पूर्ववर्ती सेवा के संबंध में निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था या ऐसा करने के लिए पात्र होते हुए उसे प्राप्त करने का विकल्प दिया था तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में उसकी सेवा के संबंध में उसके वेतन में से-

(क) उस पेंशन की रकम को ; और

(ख) यदि उसने पद ग्रहण करने के पूर्व किसी पूर्ववर्ती सेवा के संबंध में, उसको देय पेंशन के भाग के बदले उसके संराशित मूल्य को प्राप्त किया था, पेंशन के उस भाग की रकम को,

घटा दिया जाएगा ।

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का प्रतिषेध ।

7. कोई व्यक्ति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने के दौरान किसी मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, इस निमित्त किए गए अनुरोध पर और प्रत्येक मामले के आधार पर अनुरोध की परीक्षा करने के पश्चात् किसी अध्यक्ष या सदस्य को उसकी नियुक्ति के समय अपूर्ण मध्यस्थता कार्य को पूरा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।

व्यवसाय का प्रतिषेध ।

8. यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य पद पर न रहने पर ऐसे अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण जिसका वह ऐसा अध्यक्ष या सदस्य रहा है, के समक्ष उपसंजात नहीं होगा, कार्य या अभिवाक् नहीं करेगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते ।

9. धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष और सदस्य दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भत्तों और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट यात्रा भत्तों का हकदार होगा ।

चिकित्सा सुविधाएं ।

10. ऐसा अध्यक्ष या सदस्य, जो सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश या केंद्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं है, भी ऐसे निकायों के, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के दौरान केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के फायदे प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

पद और गोपनीयता की शपथ ।

11. अध्यक्ष या सदस्य, पद ग्रहण करने से पूर्व चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा ।

12. अध्यक्ष और सदस्य, पद ग्रहण करने से पूर्व अपनी आस्तियों और दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा ।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति ।

13. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा :

परंतु पहली अनुसूची में केवल ऐसे अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण को सम्मिलित किया जाएगा जिसके अध्यक्ष या सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 3

छुट्टी

अनुज्ञेय छुट्टियों के प्रकार ।

14. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी अध्यक्ष या सदस्य को अनुदत्त छुट्टी उसके विकल्प पर,--

(क) या तो पूर्ण भत्तों पर छुट्टी (चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अर्द्ध भत्तों पर परिवर्तित छुट्टी सहित) हो सकेगी ; या

(ख) अर्द्ध भत्तों पर छुट्टी हो सकेगी ; या

(ग) भागतः पूर्ण भत्तों पर और भागतः अर्द्ध भत्तों पर छुट्टी हो सकेगी ।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनो के लिए पूर्ण भत्ते पर छुट्टी की किसी अवधि की गणना अर्द्ध भत्ते पर छुट्टी के दुगुने के रूप में की जाएगी ।

छुट्टी लेखा ।

15. (1) छुट्टी लेखा रखा जाएगा और उसमें अध्यक्ष या सदस्य को अर्द्ध भत्ते पर छुट्टी के निबंधनानुसार शोध्य छुट्टी की मात्रा दर्शायी जाएगी ।

(2) छुट्टी लेखा में,--

(क) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के--

(i) उसके द्वारा वास्तविक सेवा में बिताए गए समय का एक-चौथाई जमा किया जाएगा ;

(ii) जहां उसे अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण से असंबद्ध कर्तव्यों के पालन के लिए निरुद्ध किए जाने के कारण वह किसी ऐसे प्रावकाश का उपभोग नहीं कर सका जिसका उपभोग करने के लिए वह अन्यथा हकदार होता, यदि इस प्रकार निरुद्ध नहीं किया जाता तो उपभोग नहीं किए गए प्रावकाश के प्रतिकर के रूप में उस अवधि के दुगुने के बराबर अवधि को जमा किया जाएगा जो किसी वर्ष में उसके द्वारा उपभोग किए गए प्रावकाश की अवधि, एक मास से कम रहती है ;

(ख) उसके द्वारा भत्तों सहित ली गई सभी छुट्टियां विकलित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वास्तविक सेवा" अभिव्यक्ति में है--

(क) किसी अध्यक्ष या सदस्य द्वारा ड्यूटी पर बिताया गया समय ;

(ख) प्रावकाश, ऐसे किसी समय को छोड़कर जिसके दौरान अध्यक्ष या सदस्य छुट्टी पर अनुपस्थित रहा है ।

छुट्टी भुनाना ।

16. कोई अध्यक्ष या सदस्य, अपनी निवृत्ति पर, अपनी संपूर्ण सेवा में, जिसके अंतर्गत संघ या राज्य के अधीन किसी पेंशन वाले पद या पुनर्नियोजन, यदि कोई हो, पर दी गई सेवा की अवधि भी है, उसके लेखा में जमा उपार्जित छुट्टी की अवधि की बाबत तीन सौ दिन की अधिकतम अवधि तक पूर्ण भत्तों पर वेतन छुट्टी के नकद समतुल्य का दावा करने का हकदार होगा ।

अर्जन शोध्य छुट्टी ।

17. उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसके लेखे में जमा मात्रा से छह मास से अनधिक अर्द्ध भत्तों पर छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी :

परंतु ऐसी कोई छुट्टी अनुदत्त नहीं की जाएगी यदि उससे इस प्रकार अनुदत्त छुट्टी या अर्जित छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर लौटने की प्रत्याशा नहीं की गई है ।

असाधारण छुट्टी ।

18. उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान छह मास से अनधिक अवधि के लिए असाधारण छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी किन्तु ऐसी छुट्टी के दौरान या उसकी बाबत कोई वेतन या भत्ते संदेय नहीं होंगे ।

आकस्मिक छुट्टी ।

19. एक कलेन्डर वर्ष में चौदह दिन से अनधिक आकस्मिक छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी ।

छुट्टी और विदेश यात्रा के लिए मंजूरी प्राधिकारी ।

20. (1) सदस्यों की छुट्टी के लिए मंजूरी प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष के लिए संबंधित मंत्रालय का मंत्री होगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में सदस्यों के लिए भी मंजूरी प्राधिकारी होगा ।

(2) विदेश यात्रा के लिए मंजूरी प्राधिकारी संबंधित मंत्रालय का मंत्री होगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(क), (ख), (ग), (ङ), (छ) और (ज) देखिए]

क्र.सं.	अधिकरण/अपील अधिकरण/ प्राधिकरण/बोर्ड/आयोग	विनिर्दिष्ट अधिनियम
(1)	(2)	(3)
1.	कंपनी विधि बोर्ड	कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)
2.	साइबर अपील अधिकरण	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21)
3.	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
4.	राज्य प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
5.	संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13)
6.	आय-कर अपील अधिकरण	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
7.	अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
8.	दूर-संचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण	भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)
9.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24)
10.	विद्युत अपील अधिकरण	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
11.	विदेशी विनिमय अपील अधिकरण	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)
12.	फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण	चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37)
13.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)
14.	प्रतिभूति अपील अधिकरण	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)
15.	सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
16.	अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क और सेवा कर)	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
17.	सशस्त्र बल अधिकरण	सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55)
18.	प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)
19.	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)
20.	ऋण वसूली अपील अधिकरण	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51)
21.	बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47)
22.	रेल दावा अधिकरण	रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54)

23.	राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
24.	भारतीय प्रेस परिषद्	प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37)
25.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण	राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13)
26.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27)

दूसरी अनुसूची

[धारा 9 देखिए]

अधिकरण आदि के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते

भत्ते	अध्यक्ष	सदस्य
(1)	(2)	(3)
शासकीय निवास पर निःशुल्क सुसज्जा	3,00,000 रु0 की समेकित राशि	2,00,000 रु0 की समेकित राशि
सत्कार भत्ता	5000 रु0 प्रतिमास	2000 रु0 प्रतिमास
जल और विद्युत	3600 किलो लीटर प्रतिवर्ष और 10,000 यूनिट प्रतिवर्ष	3600 किलो लीटर प्रतिवर्ष और 10,000 यूनिट प्रतिवर्ष
वाहन सुविधा	200 लीटर ईंधन प्रतिमास के साथ स्टाफ कार	200 लीटर ईंधन प्रतिमास के साथ स्टाफ कार
छुट्टी यात्रा रियायत	वर्ष में दो बार	वर्ष में दो बार
टेलीफोन सुविधा	2800 रु0 प्रतिमास (करों को छोड़कर), अतिरिक्त तीस प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अनुज्ञा सहित	2800 रु0 प्रतिमास (करों को छोड़कर), अतिरिक्त तीस प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अनुज्ञा सहित

तीसरी अनुसूची

[धारा 9 देखिए]

अधिकरण आदि के अध्यक्ष और सदस्यों का यात्रा भत्ता

क्र0सं0	प्रकार	स्वीकार्यता
1.	विमान	बिजनेस/क्लब क्लास
2.	रेल	उच्चतम श्रेणी का एक आरक्षित टू-बर्थ कंपार्टमेंट, और यदि कंपार्टमेंट उपलब्ध कराया जाता है तो अपने साथ किराए के संदाय के बिना पत्नी को ले जा सकेगा ; या संदत्त वास्तविक किराया, जो भी कम हो ।
3.	दैनिक भत्ता	होटल/अतिथि-गृह के लिए 5000 रु0 प्रतिदिन से अनधिक और खाद्य बिल 500 रु0 प्रतिदिन से अनधिक या वास्तविक खर्चे, जो भी कम हो । टिप्पण- जब मंहगाई भत्ता मूल वेतन का पचास प्रतिशत हो जाए तब दैनिक भत्ते में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।
4.	पोत	एक आरक्षित प्रथम श्रेणी केबिन, यदि उपलब्ध हो या अपने लिए संदत्त वास्तविक किराया ।
5.	मील भत्ता	वास्तविक वातानुकूलित टैक्सी किराया

चौथी अनुसूची

[धारा 11 देखिए]

पद और गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

"मैं,...अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं,......................................नामक अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण (जो लागू न हो उसे काट दें) के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक, भय या पक्षपात, अनुराग या वैमनस्य के बिना अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य, ज्ञान और निर्णय से करूंगा और यह कि मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।

तारीख : (अध्यक्ष/सदस्य का नाम और हस्ताक्षर)

....

अधिकरण, अपील अधिकरण, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण (जो लागू न हो उसे काट दें) "

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा की शर्तों को एक समान करने का प्रश्न लंबे समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है । हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भी राजीव गर्ग **बनाम** भारत संघ (सिविल रिट याचिका सं0 120/2012) के मामले में यह आदेश पारित किया है कि इस बाबत विनिश्चय उच्च स्तर पर किया जाए ।

2. सरकार ने एक समान सेवा शर्तो से संबंधित सभी विवाद्यकों पर और विशेषकर अधिकरणों, अपील अधिकरणों और ऐसे प्राधिकरणों की, जिनमें अर्द्ध न्यायिक कृत्यों का पालन करने वाले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वर्तमान या निवृत्त न्यायाधीश पदासीन है और ऐसे व्यक्ति भी, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वर्तमान या निवृत्त न्यायाधीश नहीं हैं, पदासीन हैं, निवृत्ति आयु, नियुक्ति की पदावधि, पुनर्नियुक्ति और निवास स्थान तथा कार्यालय स्थान से संबंधित उपबंधों पर सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनके अंतर्गत ऐसे विवाद्यक भी हैं जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामलों में और ऐसे निकायों को न्यस्त कृत्यों में उठाए गए हैं, विचार किया है ।

3. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 फरवरी, 2014

कपिल सिब्बल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 9 यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष और सदस्य, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भत्तों और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट यात्रा भत्तों के हकदार होंगे । अध्यक्ष और सदस्यों के भत्तों के मद्दे कुल आवर्ती वार्षिक अनुमानित व्यय तीन करोड़ रुपए है । प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग अपने नियंत्रणाधीन अधिकरणों की बाबत व्यय का वहन करते हैं ।

2. विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

GMGIPMRND—4381RS(CRC)—13.02.2014.